

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 109/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3, मु. बज्जु जिला बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

रामस्वरूप पुत्र निहालाराम जाट साकिन रामसिंह दन्देउ तहसील व जिला चुरू

—अप्रार्थी

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ।
2. अप्रार्थी हाजिर नहीं ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975



: आदेश :

दिनांक 18.09.19

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु द्वारा यह प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय को हस्तान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मु.नं. 177/59 की 16 बीघा कमाण्ड व 9 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2007 को राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटित की गयी जो नियम विरुद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाने के बावजूद उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।
3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी।
4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इगानप उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत 25 बीघा भूमि विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना ही विनिमय में आवंटन की गयी है जो प्रक्रिया और नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रगट होता है कि प्रकरण में आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गयी है। अतः प्रार्थना स्वीकार कर नियम विरुद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह उचित समझते हैं कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते हैं।
6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मु.नं. 177/59 की 16 बीघा कमाण्ड व 9 बीघा अनकमाण्ड कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करें। मूल आवंटन पत्रावलियां उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्णय प्रति के साथ भिजवायी जावे।
7. आदेश आज दिनांक 18.09.19 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर